न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 14/2023

ग्राम पंचायत गेगल (पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण) जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गेगल, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर

.....निगरानीकार

बनाम

1. श्री आदम अली पुत्र श्री मुस्लिम अली, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम गेगल, ग्राम पंचायत गेगल (पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण) जिला अजमेर
2. श्री बाबूलाल बामनिया, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत गेगल, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर स्थाई निवासी–नम्रता स्कूल के पास, ईदगाह कॉलोनी, रातीडांग, अजमेर

......अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994

उपस्थित :– श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकार की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–30.05.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत गेगल में दिनांक 22.11.2021 को आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में ग्राम पंचायत गेगल पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण द्वारा अपने संकल्प संख्या 02 दिनांक 19.11.2021 की अनुपालना में ग्राम गेगल के आबादी आराजी खसरा नम्बर 957 में से अप्रार्थी संख्या 1 श्री आदम अली पुत्र श्री मुस्लिम अली, निवासी ग्राम गेगल, ग्राम पंचायत गेगल (पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण) जिला अजमेर के पक्ष में आबादी भूमि में आवासीय प्रयोजनार्थ बुक संख्या 49 पट्टा संख्या 09 दिनांक 22.11.2021 क्षेत्रफल 100 वर्गगज जारी कर दिया। निगरानीकार ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किए गये विवादित पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध बताते हुए यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अभिभाषक एवं अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुए। उन्होने जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। वरवक्त बहस वकील अप्रार्थी संख्या 1 व स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 के अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया गया है। उनका कथन है कि जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के पत्रांक 6912–15 दिनांक 28.01.2022 के अनुसरण में उपखण्ड

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

अधिकारी, अजमेर द्वारा जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक उखअ/राजस्व/22/3053 दिनांक 21.07.2022 की पालना में पंचायत समिति, अजमेर ग्रामीण के पत्रांक पसअग्रा/पंचायत/2022/10139 दिनांक 03.08.2022 के निर्देशानुसार विचाराधीन निगरानी पेश की गई है। श्री फखरूद्दीन, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गेगल, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण का स्वर्गवास हो जाने से उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। उन्होने आगे कथन किया कि तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत गेगल द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में अपात्र व्यक्तियों को भी निःशुल्क भूमि का आवंटन कर मनमर्जी व षड़यन्त्रपूर्वक अपने चहेतों को ग्राम पंचायत गेगल के खसरों में गैरकानूनी रूप से दुर्भावनापूर्ण एवं स्वार्थवश अवैध पट्टे जारी कर दिये गये जबकि पंचायत राज अधिनियम के अनुसार उन्हे पट्टे जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 जारी भूखण्ड के पट्टे की पात्रता नहीं रखता था किन्तु तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया जो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण पूर्णतया शून्य एवं निष्प्रभावी होने से निरस्त योग्य है। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 को किसी भी तरह से निःशुल्क व रियायती भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं होने से आक्षेपीय पट्टा पंचायतराज अधिनियम के विपरीत होकर गैरकानूनी, अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 1 को आक्षेपित पट्टा जारी करते समय शर्तें अधिरोपित की गई थी कि किसी भी प्रकार के तथ्य गलत पाये जाने अथवा विवाद की स्थिति में पट्टा स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा एवं अप्रार्थी/पट्टाधारी किसी प्रकार की कोई आपत्ति का दावा नहीं करेगा। इस प्रकार पट्टे में उल्लेखित शर्तों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आक्षेपीय पट्टा अपात्रता की श्रेणी में प्राप्त किया गया जबकि उसको कोई विधिक अधिकार नहीं था। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानी याचिका स्वीकार कर पट्टाधारी के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय विक्रय विलेख पट्टा संख्या 09 दिनांक 22.11.2021 निरस्त किया जावे।

हमने वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आक्षेपीय पट्टा जारी करने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 21.07.2022 अनुसार अनियमितता पाई गई है। उपखण्ड अधिकारी अजमेर की जांच रिपोर्ट अनुसार पट्टाधारी/अप्रार्थी संख्या 1 निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं है। इन्हे निःशुल्क भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 1 को भूखण्ड का पट्टा जारी करने में घोर अनियमितता की गई है एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 का पूर्णतया उल्लंघन किया गया है जो कि वर्णित प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होकर विधि विरूद्ध है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 09 दिनांक 22.11.2021 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर, अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर